

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

रामसिंह बनाम रामकरण

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद - धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद पत्र संख्या 51 वर्ष 2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.03.2024	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के कोर्ट नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 15-04-2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल-तिजारा)</p> <p>15/4/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 14/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>14/6/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 06/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>06/8/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 05/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>05/11/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब। में दिनांक 06/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>06/11/25 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक 22.11.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा</p> <p>22/11/25 आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः वाद अदम हाजरी/अदम पेश में सारिज किया जाकर, पत्रावली वाद निर्णय तबम्बील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा राज0</p>	<p>14</p> <p>रामसिंह</p>